न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 –155/2019

अनवान : –

1. प्रभूराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. बुधराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

–वादीगण

ब ना म

1. नत्थूराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. मीरा पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. संतोष पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. शकुंतला पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. सरला पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. राधा पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :–श्री किशनलाल यादव वकील **वादीगण**
श्री जगदीश महला वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 27/2/2020

वादीगण के दावा के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार है कि रोही चक 1 बरवाली खाता सं0 47/47 के मु0 न0 39 के किला न0 4/1, 5/1, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25 कुल 2.119है0 नहरी मय खाला व चक 6 एनटीआर के खाता सं0 68/55 के मु0 न0 33 के किला न0 17/1, 18 ता 23 व 24/1 कुल 1.678है0 नहरी मय खाला की कृषि भूमि है। उक्त दोनों खातों की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 नत्थूराम के नाम से खातेदारी दर्ज है। प्रमाणित प्रति जमाबंदी हाल संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हिन्दु उतराधिकर अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। वादभूमि पहले वादीगण के दादा रामरख की खातेदारी हुआ करती थी। रामरख के देहान्त होने पर वादभूमि जो प्रतिवादी नत्थूराम के नाम से दर्ज है वह वादीगण एवं प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 को बहिस्सा बराबर के अनुसार विरासतन में मिली थी परन्तु प्रतिवादी नत्थूराम कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी नत्थूराम अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वादभूमि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी नत्थूराम के नाम दर्ज होने से वादीगण के अधिकारों पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। तामील उपरान्त प्रतिवादी सं. 1 ता 7 एवं वादीगण ने न्यायालय मे

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया। राजीनामा पेश होने के बाद तन्कीयात कायम की गई।साक्ष्यवादी में वादी बुधराम पुत्र नत्थूराम जाति निवासी नेठराना तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्य की ताहिद में वादी ने जमाबंदी रोही मौजा चक 1 बीआरडब्ल्यू के खाता सं0 47/47 सम्वत 2071–74 प्रदर्श–1, जमाबंदी 6 एनटीआर के खाता सं0 68/55 सम्वत 2073–76 प्रदर्श–2, वारिस प्रमारण पत्र ग्राम पंचायत नेठराना प्रदर्श 3, जमाबंदी 3 बीआरडब्ल्यू प्रदर्श–4, जमाबंदी रोही मोजा बरवाली प्रदर्श 5, रोही मोजा 1 बीआरडब्ल्यू खाता सं0 45/43 प्रदर्श 6, रोही चक 3 बीआरडब्ल्यू खाता सं0 39/38 प्रदर्श 7 प्रदर्शित करवाये गये।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील उभय पक्षकारान ने अपने वाद के तथ्यों को दोहराया एवं मुताबिक राजीनामा वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादी ने रोही चक 1 बरवाली खाता सं0 47/47 के मु0 न0 39 के किला न0 4/1, 5/1, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25 कुल 2.119है0 नहरी मय खाला व चक 6 एनटीआर के खाता सं0 68/55 के मु0 न0 33 के किला न0 17/1, 18 ता 23 व 24/1 कुल 1.678है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी नत्थूरा के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादीगण ने वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुये अपना राजीनामा पेश कर अपना सम्पूर्ण हिस्सा वादीगण के पक्ष में तर्क कर दिया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही चक 1 बरवाली खाता सं0 47/47 के मु0 न0 39 के किला न0 4/1, 5/1, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25 कुल 2.119है0 नहरी मय खाला व चक 6 एनटीआर के खाता सं0 68/55 के मु0 न0 33 के किला न0 17/1, 18 ता 23 व 24/1 कुल 1.678है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी नत्थूराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 नत्थूराम का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के द्वारा वादीगण 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 27/2/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी भादरा जिला हनुमानगढ (राज.)

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —155/2019

1. प्रभूराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. बुधराम पुत्र नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:—वादीगण

ब ना म

1. नत्थूराम पुत्र रामरख जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
2. कृष्णा पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
3. मीरा पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
4. संतोष पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
5. शकुंतला पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
6. सरला पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।
7. राधा पुत्री नत्थूराम जाति जाट निवासी नेठराना तहसील भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

आज यह वाद मुझ श्री मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष वकील वादीगण श्री किशनलाल यादव एवं वकील प्रतिवादीगण जगदीश महला की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती रोही चक 1 बरवाली खाता सं0 47/47 के मु0 न0 39 के किला न0 4/1, 5/1, 6, 7, 14, 15, 16, 17, 25 कुल 2.119है0 नहरी मय खाला व चक 6 एनटीआर के खाता सं0 68/55 के मु0 न0 33 के किला न0 17/1, 18 ता 23 व 24/1 कुल 1.678है0 नहरी खातेदारी प्रतिवादी नत्थूराम के नाम से खातेदारी दर्ज भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 नत्थूराम का नाम कलमजन कर तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 7 के द्वारा वादीगण 1 व 2 के पक्ष में हक त्याग किये गये हिस्सा पर पंजीयन विभाग द्वारा नियमानुसार देय स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क देय करने पर एवं वादभूमि रहनमुक्त होने उक्त वादभूमि में वादीगण 1 व 2 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

पर्चा, डिक्री आज दिनांक 27/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
RAS
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 17:40:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: